


राजस्थान सरकार
वित्त (ई.ए.डी.) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/Other Bills/15895-16194 दिनांक 16/02/2017

संशोधन

इस विभाग के पूर्व परिपत्र क्रमांक एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/Other Bills/10041-10640 दिनांक 27.10.2016 द्वारा जारी परिपत्र के बिन्दु संख्या 7 में वर्तमान प्रावधान के साथ निम्नांकित बिल का भुगतान भी बैंक के माध्यम से आहरण वितरण अधिकारी को किये जा सकने का प्रावधान सम्मिलित किया जाता है :-

“राजस्थान विधानसभा सचिवालय के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरकारी मुख्य सचेतक एवं सरकारी उपमुख्य सचेतक द्वारा दिए जाने वाले वैवेकिक अनुदान”


(नवीन महाजन)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/Other Bills/15895-16194 दिनांक 16/02/2017
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/सिविल लेखा परीक्षा/वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर
3. शासन सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय
4. समस्त विभागाध्यक्ष
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर
6. उपशासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
7. निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग, सचिवालय, जयपुर
9. वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर
10. समस्त कोषाधिकारी
11. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।


संयुक्त शासन सचिव